



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102026-277204
CG-DL-E-16102026-277204

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5414]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 14, 2026/आश्विन 22, 1948

No. 5414]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 14, 2026/ASVINA 22, 1948

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5628(अ).— व्यक्तियों को सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के सुविधाजनक और निर्बाध रीति में परिदान के लिए, अपनी पहचान साबित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग विभिन्न दस्तावेजों की आवश्यकताओं को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को आसान बनाता है और पारदर्शिता व दक्षता का संवर्धन करता है।

और, भारत सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सरकार कहा गया है) के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विभाग कहा गया है) केन्द्रीय सेक्टर स्कीम के रूप में 'बालकों के लिए पीएम केयर स्कीम' के अधीन विशेष छात्रवृत्ति स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) संचालित कर रहा है।

और उक्त स्कीम और उसके संबंध में जारी अनुदेशों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन बालकों को, जो उक्त स्कीम के फायदाग्राही (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त फायदाग्राही कहा गया है) हैं, को कक्षा पहली से लेकर कक्षा बारहवीं तक शिक्षा जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति सहायता (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त फायदा कहा गया है) दी जाएगी।

और उक्त स्कीम के लिए किए जाने वाला व्यय भारत सरकार के संचित निधि से उपगत किया जाएगा।

और उक्त सरकार, उक्त फायदे की प्राप्ति के लिए शर्त के रूप में ऐसे फायदाग्राही से आधार संख्या रखने का अथवा किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसके पास आधार संख्या नहीं है ऐसे नामांकन के लिए आवेदन करने का सबूत या अधिप्रमाणन प्रस्तुत करने की अपेक्षा करती है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1.(1) उक्त स्कीम के अधीन उक्त फायदे का उपभोग करने के वांछनीय व्यक्ति से अधिप्रमाणन या आधार संख्या होने का सबूत प्रस्तुत करने की अपेक्षा होगी।

(2) ऐसे किसी व्यक्ति की दशा में जिसे आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है, से नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा:

परंतु यदि वह व्यक्ति बालक है तो ऐसा आवेदन केवल उसके माता-पिता या विधि संरक्षक की सहमति से ही किया जाएगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम 2016 के विनियम 12 के उपबंधों के अनुसरण में उक्त सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग उन फायदाग्राहियों का नामांकन सुनिश्चित करेगा जिन्हें अभी नामांकित किया जाना है या उनके आधार व्यौरों उचित रीति में अद्यतन किया जाएगा जिसमें रजिस्ट्रार के साथ समन्वय और सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन केन्द्रों को स्थापित करना या नामांकन प्रसुविधाओं को स्वयं रजिस्ट्रार बनकर उपबंधित करना सम्मिलित है:

परंतु जब तक ऐसे फायदाग्राही को आधार संख्या नहीं मिल जाती तब तक वह उक्त फायदा पाने के लिए अपनी पहचान साबित करने के लिए ऐसे निम्नलिखित दस्तावेज उपदर्शित कर सकता है जो उसके पास हैं और जो उपदर्शित करते समय विधिमान्य हैं या यदि उक्त सामाजिक और अधिकारिता विभाग द्वारा पहचान के लिए उपलब्ध कराया गया है या प्राधिकृत साफ्टवेयर ऐसी पहचान के लिए ऐसे दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के रूप में जानकारी को संबंधित प्राधिकारियों के डाटा बेस में ही इलेक्ट्रानिक रूप में अभिप्राप्त करने की सुविधा देता है और उन्हें तैयार या बनाए रखता है वह ऐसी जानकारी अभिप्राप्त करने के लिए अपनी सहमति दे सकेगा।

अठारह वर्ष से कम आयु के ऐसे बालक के लिए जिसे आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है:

(क) नामांकन केन्द्र पर प्रचालक द्वारा फायदाग्राही के नामांकन प्रक्रिया के पूर्ण होने की पावती जिसमें नामांकन आईडी अंतर्विष्ट हो; और

(ख) फायदाग्राही के अठारह वर्ष से कम आयु का बालक होने का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज, अर्थात्:-

(i) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) के अधीन दिया गया जन्म प्रमाण पत्र, जैसा कि फायदाग्राही के जन्म के संबंध में जन्म रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टि से निकाला गया है;

(ii) भारतीय पासपोर्ट;

(iii) मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक या 10वीं कक्षा या उच्च माध्यमिक या 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र या अंक विवरण;

(iv) देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के संबंध में, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत बाल देखरेख संस्था में रखा गया है, ऐसे संस्थान के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म तारीख विनिर्दिष्ट करने वाला प्रमाण पत्र; या

(v) किसी विदेशी नागरिक के संबंध में,-

- (1) यदि वह प्रवासी भारतीय नागरिक कार्डधारक है, तो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड;
- (2) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण कार्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र;
- (3) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;

(4) यदि वह भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान का नागरिक से भिन्न है, तो उसके पास पासपोर्ट के साथ भारतीय वीजा या वर्तमान में विधिमान्य या अवसन्नित विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत का दीर्घकालिक वीजा; या

(ग) फायदाग्राही के माता-पिता या विधिक संरक्षक के साथ उसके संबंध को प्रमाणित करने के लिए, फायदाग्राही की तस्वीर वाला निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज, अर्थात्:-

(i) राशन कार्ड;

(ii) जाति प्रमाण पत्र या अधिवास प्रमाण पत्र, जो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, जो राज्य सरकार का कार्यकारी मजिस्ट्रेट हो या राजस्व अधिकारी हो, और तहसीलदार के रैंक से नीचे का न हो;

(iii) किसी सरकारी अस्तित्व या पब्लिक सेक्टर के उद्यम द्वारा सेवानिवृत्त या सेवारत लोकसेवक या उसके परिवार के सदस्य को जारी किया गया चिकित्सा या बीमा पहचान पत्र;

(iv) भारतीय पासपोर्ट;

(v) मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक या 10वीं कक्षा या उच्च माध्यमिक या 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र या अंक विवरण;

(vi) देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के संबंध में, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत बाल देखरेख संस्था में रखा गया है, ऐसे संस्थान के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म तारीख विनिर्दिष्ट करने वाला प्रमाण पत्र; या

(vii) किसी विदेशी नागरिक के संबंध में,-

- (1) यदि वह प्रवासी भारतीय नागरिक कार्डधारक है, तो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड;
- (2) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण कार्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र;
- (3) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;

(4) यदि वह भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान के नागरिक के अलावा कोई अन्य व्यक्ति है, तो विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीजा या वर्तमान में विधिमान्य या अवसन्नित विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत का दीर्घकालिक वीजा; या

(viii) ऐसे फायदाग्राही के संबंध में जिसका कोई विधिक संरक्षक है, दत्तक ग्रहण आदेश या विधिक संरक्षकत्व को प्रमाणित करने वाला कोई अन्य दस्तावेज, जो जिला मजिस्ट्रेट या विधि न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (1890 का 8), किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2), राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुनिष्कतताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) और उक्त अधिनियमों के अधीन बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के अधीन जारी किया गया हो, या

(ix) कोई अन्य दस्तावेज जैसा उक्त विभाग विनिर्दिष्ट करे।

अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु के उन फायदाग्राहियों के लिए जिन्हें आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है:

(क) नामांकन केंद्र पर प्रचालक द्वारा फायदाग्राही के नामांकन प्रक्रिया पूरी करने की स्वीकृति, जिसमें नामांकन आईडी सम्मिलित हो; और

(ख) फायदाग्राही की तस्वीर वाले निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्:-

(i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक का फोटो पहचान पत्र;

(ii) राशन कार्ड;

(iii) जाति प्रमाण पत्र या अधिवास प्रमाण पत्र, जो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, जो राज्य सरकार का कार्यकारी मजिस्ट्रेट हो या राजस्व अधिकारी हो, और तहसीलदार के पद से नीचे का न हो;

(iv) किसी सरकारी अस्तित्व या पब्लिक सेक्टर के उद्यम द्वारा सेवानिवृत्त या सेवारत लोक सेवक या उसके परिवार के सदस्य को जारी किया गया चिकित्सा या बीमा पहचान पत्र;

(v) भारतीय पासपोर्ट;

(vi) मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक या 10वीं कक्षा या उच्च माध्यमिक या 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र या अंक विवरण;

(vii) सरकारी अस्तित्व या पब्लिक सेक्टर के उद्यम द्वारा सेवारत या सेवानिवृत्त लोक सेवक को जारी किया गया पहचान पत्र या अन्य पहचान दस्तावेज;

(viii) विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 के अधीन अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र, या भारत सरकार के विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग (दिव्यांगजन) द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र;

(ix) भारत में जारी चालन अनुज्ञप्ति ;

(x) देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के संबंध में, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत बाल देखरेख संस्था में रखा गया है, ऐसे संस्थान के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म तारीख विनिर्दिष्ट करने वाला प्रमाण पत्र; या

(xi) किसी विदेशी नागरिक के संबंध

(1) यदि वह विदेशी भारतीय नागरिक कार्डधारक है, तो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड;

(2) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण कार्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र;

(3) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;

(4) यदि वह भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान के नागरिक के सिवाय कोई अन्य व्यक्ति है, तो विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीजा या वर्तमान में विधिमान्य या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत का दीर्घकालिक वीजा; या

(xii) ऐसे फायदाग्राही के संबंध में जिसका कोई विधिक संरक्षक है, दत्तक ग्रहण आदेश या विधिक संरक्षकत्व को प्रमाणित करने वाला कोई अन्य दस्तावेज, जो जिला मजिस्ट्रेट या विधि न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (1890 का 8), किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2), राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंथता और बहुनिष्कतताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999

(1999 का 44), दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) और उक्त अधिनियमों के अधीन बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के अधीन जारी किया गया हो; या

(xiii) कोई अन्य दस्तावेज जैसा उक्त विभाग विनिर्दिष्ट करे।

(4) उक्त विभाग द्वारा इस संबंध में नामित अधिकारी खंड (3) के अधीन प्रस्तुत दस्तावेजों या उनकी विषयवस्तु को प्रमाणित करने वाली सूचनाओं की जाँच करेगा और वह यह भी जाँच करेगा,-

(क) नामांकन आईडी को मायआधार पोर्टल (<https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal>) पर जमा करके नामांकन अनुरोध की स्थिति की पुष्टि करना कि नामांकन आईडी विधिमान्य है और नामांकन अनुरोध अस्वीकृत नहीं हुआ है; और

(ख) अन्य दस्तावेजों के लिए, और इस उद्देश्य के लिए, किसी भी सरकारी अस्तित्व या प्राधिकरण की सहायता ले सकता है और उनके साथ प्रस्तुत जानकारी साझा कर सकता है जो ऐसे दस्तावेजों में निहित जानकारी की तैयारी या रखरखाव से संबंधित है।

2. मंत्रालय, मीडिया के माध्यम से, फायदाग्राहियों को उक्त लाभानों का सुगम्यतापूर्वक फायदा उठाने में सक्षम बनाने के लिए, उक्त स्कीम के अधीन आधार संख्या की अपेक्षाओं के बारे में व्यापक प्रचार द्वारा जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा।

3. यदि किसी फायदाग्राही के आधार संख्या का अधिप्रमाणन बायोमेट्रिक आधारित अधिप्रमाणन विधियों (जैसे चेहरे की छवि, उंगलियों के निशान या आइरिस स्कैन आधारित अधिप्रमाणन) में से किसी के माध्यम से किया जाता है और यह अधिप्रमाणन किसी भी कारण से विफल हो जाता है, जैसे कि बायोमेट्रिक जानकारी की खराब गुणवत्ता, तो निम्नलिखित उपचारात्मक उपाय अपनाए जाएंगे, अर्थात्:-

(क) यदि बायोमेट्रिक आधारित अधिप्रमाणन का कोई विशेष तरीका सफल नहीं होता है, तो बायोमेट्रिक आधारित अधिप्रमाणन या वन-टाइम पिन (ओटीपी) आधारित अधिप्रमाणन का कोई अन्य तरीका, जहाँ भी संभव और स्वीकार्य हो, प्रस्तावित किया जाएगा;

(ख) जिन मामलों में बायोमेट्रिक-आधारित या वन-टाइम पिन (ओटीपी)-आधारित अधिप्रमाणन संभव नहीं है, वहाँ आधार सुरक्षित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड या आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी दस्तावेज़ पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के ऑफलाइन सत्यापन द्वारा आधार संख्या की प्रामाणिकता स्थापित करने के बाद, उक्त स्कीम के अधीन फायदा निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर दिए जा सकेंगे :

(i) आधार कार्ड, आधार पत्र (अर्थात्, आधार संख्या धारक को उसकी आधार संख्या उत्पन्न होने पर जारी किया गया पत्र) या ई-आधार (अर्थात्, आधार पत्र की पासवर्ड-सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक प्रति जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या उसके mAadhaar ऐप का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है) युक्त आधार सुरक्षित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड, आधार क्यूआर स्कैनर या mAadhaar ऐप का उपयोग करके क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से इसकी प्रामाणिकता स्थापित होने के पश्चात ;

(ii) आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी दस्तावेज़ (जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या उसके mAadhaar ऐप के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है), जिसकी प्रामाणिकता संबंधित मंत्रालय या विभाग या स्कीम कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा इस प्रयोजन के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट पर इस संबंध में दिए गए व्यौरों के अनुसरण में विकसित एप्लिकेशन के माध्यम से दस्तावेज़ पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के ऑफलाइन सत्यापन द्वारा स्थापित की गई हो।

4. उपरोक्त में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए---

(क) किसी भी बालक को उक्त स्कीम के अधीन फायदों से वंचित नहीं किया जाएगा-

(i) अधिप्रमाणन के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करने में विफल रहने या आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल होने की स्थिति में: या

(ii) यदि उसे आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है तो नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में;

(ख) उक्त स्कीम के अधीन ऐसे बालक को उसकी पहचान सत्यापित करके और पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परंतुक में विनिर्दिष्ट रीति में उसके माता-पिता या विधिक संरक्षक के साथ उसके संबंध को स्थापित करके फायदा दिया जाएगा; और

(ग) जहां खंड (ख) के अधीन फायदा दिया जाता है, वहां इसके संबंध में एक अभिलेख अनुरक्षित किया जाएगा, जिसकी उक्त विभाग द्वारा समय-समय पर पुनर्विलोकन और संपरीक्षा की जाएगी।

5. यह सुनिश्चित करने के लिए कि अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु के वास्तविक फायदाग्राहियों को उक्त स्कीम के अधीन सम्यक् फायदों से वंचित न किया जाए, विभाग, भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्यालय ज्ञापन सं.....डी -26011/04/2-17-डीजीटी, तारीख 19 दिसंबर, 2017, जो (<https://dbabharat.gov.in>) पर उपलब्ध है, में यथा विनिर्दिष्ट निष्पादन हैंडलिंग तंत्र का पालन करेगा।

6. यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. जे-8/3/2024-सांख्यिकी प्रभाग]

प्रतिमा गुप्ता, उप महा-निदेशक

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2026

S.O. 5628(E).— Whereas, the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency;

And whereas, the Department of Social Justice and Empowerment (hereinafter referred to as the said Department) of the Ministry of Social Justice and Empowerment in the Government of India (hereinafter referred to as the said Government) is administering the Central Sector Scheme namely, Special Scholarship Scheme under 'PM CARES for Children Scheme' (hereinafter referred to as the said scheme);

And whereas, scholarship assistance to continue education from class 1st onwards till class 12th (hereinafter referred to as the said benefit) is given to the children who are the beneficiaries of the said scheme (hereinafter referred to as the beneficiaries) under the said scheme and the instructions and guidelines issued in respect thereof;

And whereas, expenditure for the said scheme is incurred from the Consolidated Fund of India;

And whereas, the said Government, for the purpose of establishing identity of a beneficiary as a condition for the receipt of the said benefit, requires that such beneficiary undergoes the authentication, or furnishes proof of possession of Aadhaar number or in the case of an individual to whom no Aadhaar number has been assigned to make an application for such enrolment;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Government of India hereby notifies the following, namely: —

1. (1) An individual desirous of availing of the said benefit under the said scheme shall be required to undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number.

(2) In case such an individual has not been assigned an Aadhaar number, he shall be required to make an application for enrolment:

Provided that if that individual is a child, such application shall be made only with the consent of his parent or legal guardian.

(3) In accordance with the provisions of regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the said Department shall ensure enrolment of such beneficiaries who are yet to be enrolled, or update

their Aadhaar details through appropriate measures, including coordination with Registrars and setting up enrolment centres at convenient locations or providing enrolment facilities by becoming a Registrar itself:

Provided that till such time an Aadhaar number is assigned to such beneficiary, he may establish his identity to avail the said benefit, by presenting the following documents to which he is entitled and which are valid at the time of presentation, or, in case the software provided or authorised by the said Department for such identification supports electronic obtaining of information evidencing the contents of such documents from the database of the authorities dealing with the preparation or maintenance thereof, by giving his consent for so obtaining, namely:—

For a child below eighteen years of age to whom an Aadhaar number has not been assigned:

- (a) the acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment centre, containing the Enrolment ID; and
- (b) any one of the following documents to evidence that the beneficiary is a child below eighteen years of age, namely:—
 - (i) certificate of birth given under the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (18 of 1969), as extracted from the entry made in the register of births regarding the birth of the beneficiary;
 - (ii) Indian passport;
 - (iii) certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognised Board of school education;
 - (iv) in respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed in a child care institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, Child Welfare Officer or probation officer of such institution; or
 - (v) in respect of a foreign national,—
 - (I) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, an Overseas Citizen of India Card;
 - (II) if he is a Tibetan refugee, a registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;
 - (III) if he is a national of Nepal or Bhutan, a passport of Nepal or Bhutan;
 - (IV) if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or
- (c) any one of the following documents, having the photograph of the beneficiary, to evidence his relationship with the parent or legal guardian, namely:—
 - (i) Ration card;
 - (ii) caste certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted officer who is an Executive Magistrate or a revenue officer of the State Government, not below the rank of Tahsildar;
 - (iii) medical or insurance identity card issued by a government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member;
 - (iv) Indian passport;
 - (v) certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognised Board of school education;
 - (vi) in respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed in a child care institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, Child Welfare Officer or probation officer of such institution; or

- (vii) in respect of a foreign national,—
 - (I) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, an Overseas Citizen of India Card;
 - (II) if he is a Tibetan refugee, a registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;
 - (III) if he is a national of Nepal or Bhutan, a passport of Nepal or Bhutan;
 - (IV) if he is other than an Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or
- (viii) in respect of a beneficiary who has a legal guardian, adoption order or other document to evidence legal guardianship, which is issued by the District Magistrate or a court of law or competent authority under the Guardians and Wards Act, 1890 (8 of 1890), the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999) or the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) and the applicable rules and regulations made under the said Acts; or
- (ix) any other document as the said Department may specify. Or

For beneficiaries aged eighteen years or more to whom an Aadhaar number has not been assigned:

- (a) the acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment centre, containing the Enrolment ID; and
- (b) any one of the following documents, having the beneficiary's photograph, namely:—
 - (i) Elector's Photo Identity Card issued by the Election Commission of India;
 - (ii) ration card;
 - (iii) caste certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted officer who is an Executive Magistrate or a revenue officer of the State Government, not below the rank of Tahsildar;
 - (iv) medical or insurance identity card issued by a government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member;
 - (v) Indian passport;
 - (vi) certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognised Board of school education;
 - (vii) identity card or other identity document issued to serving or retired public servant by a government entity or a public sector enterprise;
 - (viii) disability certificate issued by notified medical authority under the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, or a Unique Disability Identification card issued by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (*Divyangjan*), Government of India;
 - (ix) driving licence issued in India;
 - (x) in respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed in a child care institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), a certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, Child Welfare Officer or probation officer of such institution; or
 - (xi) in respect of a foreign national,—
 - (I) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, an Overseas Citizen of India Card;
 - (II) if he is a Tibetan refugee, a registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;

- (III) if he is a national of Nepal or Bhutan, a passport of Nepal or Bhutan;
- (IV) if he is other than an Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or
- (xii) in respect of a beneficiary who has a legal guardian, adoption order or other document to evidence legal guardianship, which is issued by the District Magistrate or a court of law or competent authority under the Guardians and Wards Act, 1890 (8 of 1890), the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999) or the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) and the applicable rules and regulations made under the said Acts; or
- (xiii) any other document as the said Department may specify.

(4) An officer designated by the said Department in this behalf shall check the documents presented or the information evidencing the contents thereof under clause (3) and shall also check,—

- (a) the status of the enrolment request by submitting the Enrolment ID on myAadhaar portal (<https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal>) to confirm that the Enrolment ID is valid and that the enrolment request does not stand rejected; and
- (b) the other documents, and for this purpose, may take the assistance of and share the information presented with any government entity or an authority that deals with the preparation or maintenance of the information contained in such documents.

2. In order to enable the beneficiaries to avail of the said benefits conveniently, the Ministry shall take all necessary steps to ensure wide publicity through media to make the beneficiaries aware of the requirement of Aadhaar number under the said scheme.

3. Where the authentication of the Aadhaar number of a beneficiary done through any of the biometric-based modes of authentication (namely, facial image, fingerprints or iris scan based authentication) fails due to any reason, such as poor quality of biometric information, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—

- (a) in case any particular biometric-based mode of authentication is not successful, any other mode of biometric-based authentication or one-time pin (OTP) based authentication shall, wherever feasible and admissible, be offered;
- (b) in cases where biometric-based or One-time pin (OTP) based modes of authentication are not possible, benefits under the said scheme may, after establishing the genuineness of the Aadhaar number by doing offline verification of the digital signature certificate of the Unique Identification Authority of India on the Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code or the Aadhaar Paperless Offline e-KYC document, as the case may be, be given on the basis of any of the following:
 - (i) an Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code containing Aadhaar card, Aadhaar letter (*i.e.*, the letter issued to an Aadhaar number holder on generation of his Aadhaar number) or e-Aadhaar (*i.e.*, the password-protected electronic copy of Aadhaar letter downloadable from the website of the Unique Identification Authority of India or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification by scanning the QR code using the Aadhaar QR Scanner or mAadhaar apps;
 - (ii) Aadhaar Paperless Offline e-KYC document (downloadable from the website of the Unique Identification Authority of India or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification of the digital signature certificate of the Unique Identification Authority of India on the document through the application developed by the Ministry or Department or scheme implementing agency concerned for this purpose, in accordance with the details given in this regard on the website of the Unique Identification Authority of India.

4. Notwithstanding anything contained hereinabove,—
- (a) the benefit under the said scheme shall not be denied to any child—
 - (i) in case of failure to establish his identity by undergoing authentication or to furnish proof of possession of Aadhaar number; or
 - (ii) in case of production of an application for enrolment where he has not been assigned an Aadhaar number;
 - (b) the benefit under the said scheme shall be given to such a child by verifying his identity and establishing his relationship with his parent or legal guardian in the manner specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1; and
 - (c) where benefit is given under clause (b), a record shall be maintained in respect of the same, which shall be reviewed and audited periodically by the said Department.
5. In order to ensure that *bona fide* beneficiaries aged eighteen years or more are not deprived of the benefit due to them under the said scheme, the Department shall follow the exception handling mechanism specified in the Office Memorandum no. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December, 2017 of the Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India (available on <https://dbtbharat.gov.in>).
6. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. J-8/3/2024-Statistics Division]

PRATIMA GUPTA, Deputy Director-General